न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांकः-63 /अ-59/2017-18/ 5562 बैतूल दिनांक 4 /5 /2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 06 तहसील घोड़ाडोंगरी द्वारा नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (चोपना वृत्त) के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम भोग्ईखापा तहसील शाहपुर स्थित चरनोई मद के खसरा नंबर 153/7 में तीन मकान एवं खसरा नंबर 153/10 में दो मकान बने हुए है, खसरा 153/7 रकबा 1.400 हेक्टेयर में से 0.240 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 153/10 रकबा 3.730 हेक्टेयर में से 0.240 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किया जाना है।

2- हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (चोपना वृत्त) द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) शाहपुर के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- हल्का पटवारी द्वारा नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (चोपना वृत्त) के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के साथ संलग्न ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुसार दिनांक 10-2-2018 को आयोजित ग्राम सभा में मौजा भोगईखापा स्थित खसरा नंबर 153/7 रकबा 1.400 हेक्टेयर मद चरनोई में से 0.240 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर153/10 रकबा 3.730 हेक्टेयर मद चरनोई में से 0.240 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

(2)- ग्राम सभा द्वारा चयनित उपरोक्तानुसार खसरा नंबरो की नोईयत परिवर्तन करके आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्‌घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा भोगईखापा तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 153/7 एवं 153/10 रकबा क्रमशः 1.400 तथा 3.730 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968-69 के अनुसार खसरा नंबर 153 रकबा 20.728 हेक्टेयर भूमि घाँस मद में दर्ज है।

(4)- ग्राम भोगईखापा का मकबूजा रकबा 677.889 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 67.264 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से न्यूनतम 13.557 हेक्टेयर चरनोई का रकबा उपलब्ध होना आवश्यक है। वर्तमान में ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा, न्यूनतम रक्षित रकबे से अधिक है।

(5)- उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (चोपना वृत्त)/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर द्वारा मौजा भोगईखापा तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित चरनोई मद के खसरा नंबर 153/7 रकबा 1.400 हेक्टेयर में से 0.240 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर153/10 रकबा 3.730 हेक्टेयर में से 0.240 हेक्टेयर को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाँए पृथक रख सकता है तथा उपधारा- (3) के अनुसार चारागाह, घाँस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवपर्तित किया जा सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि मे से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (चोपना वृत्त)/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा भोगईखापा तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित चरनोई मद के खसरा नंबर 153/7 रकबा 1.400 हेक्टेयर में से 0.240 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर153/10 रकबा 3.730 हेक्टेयर में से 0.240 हेक्टेयर (जिसे नक्शे मे लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 63/अ-59/2017-18/ 5562 बैतूल दिनांक 4/5/2018

प्रतिलिपिः-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर की ओर सूचनार्थ।
2- नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (चोपना वृत्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
5- सचिव ग्राम पंचायत भोगईखापा जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.